



### गाजियाबाद कोर्ट ने आरुषि और हेमराज मर्डर केस में नूपुर तलवार और राजेश तलवार को ठहराया दोषी

हालाँकि यह घटना किसी गाँव-देहात में हुई होती और उसपे भी हरियाणा (वर्तमान हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश) के देहात में हुई होती तो ऐडवा (जगमति सांगवान एंड ग्रुप - AIDWA), ऐपवा (कविता कृष्णन एंड ग्रुप - AIPWA) से ले तमाम रंजना कुमारी और अन्य महिला आयोग वालियों ने इतना भी इंतज़ार ना किया होता जितना कि आरुषि केस में किया और सीधे-सीधे अगर यह घटना खापों के समाज से ना भी होती तो भी खापों को किसी न किसी तरीके से इस केस में घसीट देना था।

और अब देखो इस मामले में अभी तक भी इनकी कोई ऐसी गर्म-मिजाजी वाले तेवरों वाली प्रतिक्रिया नहीं आई जो ऐसे मामलों में अक्सर इनके मुखमंडल को प्रज्वलित करती हुई देखी जाती है।

क्या ये मैडमें इस हॉनर किल्लिंग के लिए भी आरुषि तलवार के परिवार को शायद दोषी न मान इनके समाज को भी दोषी मानेंगी, और ठीक वैसे ही जैसे जाटों या हरियाणा में कोई हॉनर किल्लिंग हो जाए तो खापों का दूर-दूर तक कोई हाथ ना होते हुए भी उनको इसमें घसीट लाती हैं, ऐसे ही तलवार दम्पत्ति के समाज और उस समाज की संस्थाओं को भी घसीटेगी इस मामले में?

आखिर अक्टूबर में रोहतक में हुई हॉनर किल्लिंग में और आरुषि वाली हॉनर किल्लिंग में क्या फर्क है? रोहतक वाले ने कम से कम खुद स्वीकार तो कर लिया कि उसने मारा है उसके बच्चों को, आरुषि वाले मामले में तो कोर्ट और पुलिस को साबित करना करना पड़ा कि हाँ नूपुर और राजेश ने मारा है उनकी बच्ची को, वो खुद तो शुरू से ही इसको छुपाने की ताक में चल रहे थे। और ये तमाम ऊपर-अंकित महोदययें तलवार दम्पत्ति के समाज और सामाजिक संस्थाओं को इसमें ना घसीटने पे कितनी शांति अखितयार किये हुए थी!

अब ये तमाम ऐडवा (AIDWA) और ऐपवा (AIPWA) वाले झाँके अपने दोगले चरित्र में। यह सही वक्त है आप लोगों के लिए अपनी मानसिकता का अवलोकन करने का और उसमें सुधार कर आरुषि वाले केस में भी तलवार दम्पत्ति के साथ-साथ उनके समाज और उसकी सन्स्थाओं को भी सामने ला उनसे ठीक वैसे ही सवाल जवाब करने का जैसे आप लोग खापों से करती हैं।

Reference: <http://aajtak.intoday.in/story/aarushi-hemraj-murder-verdict-1-747825.html>

Phool Kumar Malik

Nidana Heights

Dated: 25/11/2013